न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/198 दायरा दिनांक : 07.11.2022

उनवान

1. धन्ना पुत्र श्री जीवन, जाति मीणा, निवासी ग्राम रकसपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान –
   1/1. रामदयाल उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा
   2/2. जगदीश उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा
   2/3. राधेश्याम उम्र 46 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम रकसपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
2. भंवर लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम रकसपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान –
   2/1. महावीर उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति मीणा
   2/2. इन्द्रराज उम्र 38 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति मीणा
   2/3. सोभागमल उम्र 27 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति मीणा
   2/4. रामप्यारी उम्र 65 वर्ष बेवा श्री भंवरलाल, जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम रकसपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
3. बद्रीलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री कन्हैया लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम रकसपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
4. गोरधन उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री कन्हैया लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम रकसपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
5. तुलसां बाई उम्र 50 वर्ष पुत्री श्री कन्हैया लाल, पत्नी श्री केदारलाल जाति मीणा, निवासी तिसाया सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
6. कैलाश बाई उम्र 68 वर्ष पुत्री श्री कन्हैया लाल, पत्नी श्री आनन्दी लाल जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. गोबरी बाई उम्र 60 वर्ष पत्नी श्री केसरीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बोरदा, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.09.2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 65/2012 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.02.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि खाता संख्या 44 ग्राम रकसपुरिया, तहसील मांगरोल में खसरा नं. 28 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नं. 247 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नं. 255 रकबा 1.55 हैक्टेयर, खसरा नं. 256 रकबा 2.59 हैक्टेयर, खसरा नं. 294 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नं. 367 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नं. 367/404 रकबा 0.25 हैक्टेयर और खसरा नं. 368 रकबा 0.39 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 व भरोसी बाई, उर्मिला पुत्री सुखदेव हिस्सा 1/3 के खाते में दर्ज हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.02.2019 से वाद वादिनी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने मे भारी भूल की है। उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 28.05.2012 को वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 पेश हुआ था, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 07.06.2013 को जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया था, जिसका जवाबुल जवाब वादी द्वारा दिनांक 14.06.2013 को पेश किया गया। इसके बाद पत्रावली तनकीयात में चली जो दिनांक 01.08.2013 को तनकीयात कायम की गई। इसके बाद पत्रावली साक्ष्य वादी में चलती रही। दिनांक 31.05.2016 को यह आदेशिका लिखी गई कि साक्ष्य वादी फैसला करने पर साक्ष्य वादी बन्द कर दी जायेगी। इसके बाद भी लगभग 15 तारीखे दिनांक 25.07.2016 से 17.12.2018 तक साक्ष्य वादी में फाईल चलती रही। दिनांक 06.02.2019 को वकील प्रतिवादी की गैर हाजरी लिखकर जिरह बन्द कर दी गई एवं उसी दिन अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया तथा दिनांक 07.02.2019 को एक तरफा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। जिसकी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सूचना दिये एक तरफा आदेश पारित कर दिये है जो सर्वथा खिलाफ कानून अपीलान्ट है, जिससे अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इसके बाद आज दिन तक भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त पत्रावली में कुल 1/3 हिस्से की डिक्री जारी की है वह खिलाफ कानून है क्योंकि रेस्पोडेन्ट क्रम 01 का वादग्रस्त भूमियों में न तो कोई हक व हिस्सा है और ना ही उसका कब्जा है। अपीलान्ट द्वारा जो काउन्टर क्लेम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पेश किया था, उसकी सत्यता की जानकारी होनी चाहिये थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 4, 5, 6 व 7 को साबित करने का भार अपीलान्ट पर डाला था, किन्तु अपीलान्ट की कोई साक्ष्य न लेकर उनके साथ भारी अन्याय किया है। इनमें तनकी नं0 05 में यह स्पष्ट था कि मीणा जाति में ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है इस कारण वादग्रस्त भूमियों में रेस्पोडेन्ट का कोई हिस्सा नहीं है। यदि अपीलान्ट को मौका मिलता तो वह अपनी तनकियों को साबित करते। उपरोक्त प्रकरण में वादिनी गोबरी बाई द्वारा जो वाद पेश किया गया था तथा दिनांक 07.02.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी हुई, इससे पूर्व प्रतिवादी क्रम 01 धन्ना पुत्र जीवन का देहान्त हो गया। किन्तु इस बाबत वादिनी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र कायम मुकाम का अथवा धन्ना के कायम मुकाम को सूचना देने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। इसी कारण अब इस प्रकरण में प्रतिवादी धन्ना के बजाय उसके कायम मुकामान को इस अपील में 1/1 से 1/3 के रूप में पक्षकार बनाया गया है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 02 भंवरलाल पुत्र जीवन का भी दिनांक 19.03.2022 को देहान्त हो गया है और इसी कारण भंवरलाल के वारिसान को इस प्रकरण में 2/1 ता 2/4 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने धन्ना पुत्र जीवन जो दौराने वाद ही मृतक हो गया, उसके विरूद्ध डिक्री पारित की है और मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित की गई डिक्री कानूनी रूप से शून्य होती है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमाकर निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.02.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल प्रकरण संख्या 65/2012 बउनवान गोबरी बाई बनाम धन्ना वगैरह दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्टगण को साक्ष्य पेश करने के लिये अवसर दिया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिमाण्ड कि जावें कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट की साक्ष्य लेकर पुनः निर्णय पारित करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.07.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक 06.02.2019 को वाद में सम्पूर्ण कार्यवाही कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुने बिना ही निर्णय व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

डिकी पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय में हमें साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.05.2012 से दावा पेश हुआ था। दिनांक 04.02.2015 को वादी के शपथ पत्र पेश हो गये थे। अपीलांट ने जिरह क्यों नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय में आर्डर 9 नियम 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 09.03.2022 को अपील पेश कर दी। अपील मेंन्टेनेबल नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम रकसपुरिया तहसील मांगरोल में खाता संख्या 44 में खसरा नं. 28 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नं. 247 रकबा 1.70 हेक्टर, खसरा नं. 255 रकबा 1.55 हेक्टर, खसरा नं. 256 रकबा 2.59 हेक्टर, खसरा नं. 294 रकबा 0.43 हेक्टर, खसरा नं. 367 रकबा 0.85 हेक्टर, खसरा नं. 367/404 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नं. 368 रकबा 0.39 हेक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 8.08 हैक्टर प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 6 व भरोसीबाई, उर्मिला पुत्री सुखदेव हिस्सा 1/3 के खाते में दर्ज रही है। सहखातेदार भरोसी, उर्मिला ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने हिस्से की आराजी 1/3 वादनी को बेचान कर दी और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल नं. 315 दिनांक 10.05.2012 से वादनी का नाम सहखातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। प्रतिवादी कम 1 लगायत 6 वादनी को काश्त नहीं करने दे रहे है और अपना हिस्सा भी पृथक खाता दर्ज कराने को तैयार नहीं है। अतः विवादित आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 8.08 हैक्टर में से वादनी का हिस्सा 1/3 पृथक किया जाकर पृथक से वादनी के खाते मे दर्ज करे। एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 इस आशय की प्रसारित करे कि वादनी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

के पृथक किये हुए 1/3 हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे, वादनी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा व काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादनी द्वारा उक्त वाद गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। वादनी का उक्त आराजियात पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। सुखदेव खातेदार की पुत्री भरोसी के जन्म के उपरांत मृत्यु हो गयी थी। सुखदेव की पत्नी प्रेम उसे लेकर ग्राम बाडौलिया जिला कोटा में बंशीलाल के यहां नाते चली गयी थी। बंशीलाल के नुत्फे से प्रेमबाई के नाते जाने के उपंरात पुत्री उर्मिला का जन्म हुआ। भरोसी एवं उर्मिला का विवाह हो चुका है। प्रेमबाई पत्नी सुखेदव का देहांत हो चुका है। सुखदेव की मृत्यु के बाद भरोसी बाई व उर्मिला ने षडयंत्र पूर्वक राजस्व अधिकारियों से मिलकर सुखेदव के 1/3 हिस्से की उक्त विवादित आराजी पर सही तथ्य छिपाते हुए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया है जबकि उर्मिला सुखदेव की पुत्री नहीं है। सुखदेव अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अतः उन पर ऑल्ड हिन्दु लॉ लागू होता है एवं सुखदेव के उत्तराधिकारी के रूप प्रतिवादीगण उसके रिवर्सनर है तथा उर्मिला व भरोसी बाई को सुखेदव के हिस्से के उक्त आराजियात में कानूनी हक समाप्त हो चुके है। अतः जवाबदावा व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादनी का वाद पत्र निरस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण का दावा/काउण्टर क्लेम स्वीकार कर डिक्री विरूद्ध वादिनी इस आशय की जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी में सुखदेव के रिवर्सनर एवं उत्तराधिकारी होने से 1/3 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण को घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन किया जावे तथा वादनी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.02.2019 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अंकित किया कि वाद वादनी स्वीकार किया जाकर वादनी के पक्ष में प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। खाता संख्या 44 ग्राम रकसपुरिया तहसील मांगरोल की कुल किता 8 कुल रकबा 8.08 हैक्टर में से वादनी का 1/3 हिस्सा पृथक किया जाकर, पृथक से खाता दर्ज किया जावे। एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 ता 6 इस आशय की जारी हो कि वादनी के 1/3 हिस्से में दर्ज आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे, वादनी को शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करने देवे। प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसीलदार मांगरोल से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपीलांट ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को खारिज की जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण की साक्ष्य हेतु रिमाण्ड किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन अनुसार वादपत्र दिनांक 28.05.2012 को दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाबदावा प्राप्त होने पर प्रकरण में दिनांक 27.08.2013 को तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी हेतु प्रथम तारीख पेशी दिनांक 25.09.2013 नियत करने के पश्चात पत्रावली दिनांक 08.12.2014 तक साक्ष्य वादी में विभिन्न तारीख पेशियां नियत की गई। दिनांक 04.02.2015 को साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश होने पर पत्रावली वास्ते जिरह साक्ष्य वादी में दिनांक 18.03.2015 नियत की गई। दिनांक 03.05.2016 तक पत्रावली जिरह साक्ष्य वादी में चलती रही तथा दिनांक 03.05.2016 को पुनः पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। तत्पश्चात पुनः पत्रावली दिनांक 13.08.2018 तक साक्ष्य वादी में चलती रही। दिनांक 13.08.2018 को पुनः पत्रावली वास्ते जिरह वादी गवाह में दिनांक 15.10.2018, 17.12.2018 एवं 06.02.2019 तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 06.02.2019 को जिरह प्रतिवादी बन्द करते हुए उसी दिन प्रतिवादी अपीलांटगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई एवं पत्रावली में निर्णय हेतु दूसरे ही दिन दिनांक 07.02.2019 को तारीख पेशी नियत कर दूसरे ही दिन वादिया रेस्पोडेंट कम 1 का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2019 को वादी गवाह से प्रतिवादी अधिवक्ता की जिरह बन्द करने के पश्चात उसी दिन प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश से पूर्व सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों के तहत प्रतिवादीगण अपीलांट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु विधिक रूप से एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अवसर प्रदान करना आवश्यक था। प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण तनकी नं. 4, 5, 6, 7 को साबित करने के अवसर से वंचित रह गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र के निस्तारण में सी. पी. सी. के विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.02.2019 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवायी का अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से, तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.11.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/09/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा